गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या का जिलावार ब्यौरा निम्नानुसार है:

जिले का नाम	परिवारों की संख्या
अहमदाबाद	2737
जामनगर	800
पंचमहल	841
भड़ूच	44
राजकोट	2415
कच्छ	354

पेयजल सुविधाएं ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति का विचार किए बिना बस्तियों को कवरेज की इकाई मानते हुए उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए इन जिलों के लिए वर्ष 1996 के दौरान बस्तियों की कवरेज तथा पेयजल आपूर्ति सुविधाओं वाली कुल जनसंख्या का ब्यौरा नीचे दिया जाता है:

जिलों का नाम	बस्तियों की संख्या	कवर की गई जनसंख्या
अहमदाबाद	23	34432
जामनगर	46	45595
पंचमहल	48	59678
भड़ूच	6	7625
राजकोट	32	52979
कच्छ	28	28412

(ख) इन जिलों में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1996 के दौरान किसी ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय में पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं उलपब्ध नहीं कराई गई हैं।

राज्यों को राष्ट्रीय संसाधनों से अतिरिक्त जल दिया जाना

2844. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात और अन्य राज्यों में पेयजल की बिगड़ती स्थिति की समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन राज्यों को राष्ट्रीय संसाधनों से अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रबंध किये गए है;

(ग) वर्तमान में दिल्ली को अन्य राज्यों से कितना जल मिल रहा है; और

(घ) राष्ट्रीय जल संसाधनों (नदियों) से कितना अतिरिक्त जल उपलब्ध करवाये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) (क) जी, हां। देश में 1.32 लाख बसावटों में से 53409 बिना पेयजल स्रोत वाली बसावटें हैं।

(ख) राष्ट्रीय जल नीति 1987 में अपनाई गई थी जिसमें सिंचाई तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की आयोजना में पेयजल प्रयोजनों हेतु जल के आवंटन को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(ग) वर्तमान में दिल्ली की भाखड़ा जलाशय से 368 क्यूसेक जल तथा अपर गंगा नहर से 200 क्यूसेक रामगंगा जल प्राप्त हो रहा है। यमुना जल में इसके प्राधिकृत अंश के अतिरिक्त हरियाणा द्वारा पश्चिमी यमुना नहर से दिल्ली को अतिरिक्त यमुना जल दिया जा रहा है।

(घ) राज्यों को नदियों से पीने के प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले अतिरिक्त जल की मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया है।

Extension of Lal Dora Limit of Villages

2845. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether some proposals for extension of Lal Dora limit of villages in the country are pending with Government;

(b) if so, the details thereof, district-wise;

(c) whether Lal Dora limit has been extended in all the villages of Assam; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor, with the steps to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA):

(a) to (d) The information sought shall be lais on the Table of the House as soon as the same is received from the concerned State Government.

Uniform Panchayati Raj and Nagar Palika Institutions

2846. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have been requested to extend provisions of Article 243 of the Constitution, providing for uniform Panchayati Raj and Nagar Palika Institutions to the Scheduled Areas mentioned in Article 244 (1) and (2) enabling State Governments to held elections there according to Constitution;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have taken any decision on such requests; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) to (d) The Provisions of the Panchayat (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 for extending the provisions of Part IX of the Constitution relating to Panchayats to the Scheduled Areas has come into force with effect from 24th December, 1996. The matter regarding extending Constitution (74th Amendment) Act, 1992 relating to Nagar. Palika Institutions to Scheduled Areas is under consideration of Ministry of Urban Affairs and Employment.

गढ़वाल क्षेत्र के पौड़ी जिले में कोट पम्पिंग योजना

2847. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जल निगम द्वारा पौड़ी जिले में एक बड़ी जल आपूर्ति योजना बनाई गयी है; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या ऐसी योजनायें अपने लक्ष्यों के अनुरूप जलापूर्ति कर रहीं है, यदि हां, तो इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की संख्या क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) दो वर्ष पूर्व शुरू की गई कोट पम्पिंग योजना से लाभान्वित हो रहे ग्रामों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गलत ढंग से पाइप लाइन जोड़ने के कारण कई गांवों में पानी नहीं पहुंच पाया हैं, यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा पाइप लाइन को दुबारा डालने के लिए क्या किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा:) (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Poverty Alleviation and rural development programmes in Orissa

2848. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is fact that despite all the poverty alleviation and rural development programmes implemented by Government so far, the lot of the people of the drought prone areas of Orissa continues to be the same and incidents of child labour, mortgaging the Children, land and shelter, for money and food, are on the rise; and

(b) if so, what action Government propose to take to improve the living conditions of the people in those areas and to ensure that benefits of Government schemes/programmes reach the needy and deserving?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) and (b) Government is aware of the